डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 06/2026-27 के मुखपृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 206, 207, और 208 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

परामर्श पत्र संख्या 06/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, भोगापुरम (वीटीजेड) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2026 – 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 01 अक्टूबर, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

हितधारकों की टिप्पणियाँ

जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम मंडल में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए बोली जीती और 12 जून, 2020 को जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिए रियायत करार (सीए) पर हस्ताक्षर किए। रियायत करार के अनुसार, जीवीआईएएल नियत तारीख से 40 वर्ष की अवधि के लिए डीबीएफओटी (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन एवं स्थानांतरण) मॉडल के अनुसार हवाई अड्डे का विकास करेगा, जिसे बोली प्रक्रिया के आधार पर बीस (20) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें रियायतकर्ता को रियायत करार के खंड 3.1.1 (संलग्नक-1 देखें) के अनुसार उच्चतम बोलीदाता के बराबर बोली लगाने का अधिकार होगा।

रियायत करार की अनुसूची-ए के संनुलग्नक-II के अनुसार, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (बीआईए) के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की तारीख से 60 लाख यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) की निर्धारित वार्षिक यात्री प्रबंधन क्षमता है। तदनुसार, अपनी निर्दिष्ट क्षमता के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने दिनांक 29 अगस्त 2025 के आदेश संख्या 07/2025-26 द्वारा इसे ऐरा अधिनियम 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में वर्गीकृत किया है।

विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में, जीवीआईएल ने 9 जुलाई, 2025 को अपना एमवाईटीपी प्रस्तुत किया था, जिसमें सी.ओ.डी. की तारीख 30 जून, 2026 थी, ताकि 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक की अवधि को प्रथम नियंत्रण अवधि और 30 जून, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि को पूर्व-नियंत्रण अवधि के रूप में मानते हुए हुए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण किया जा सके।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त, 2026 को किया गया और यहाँ से 17 अगस्त, 2026 ("सीओडी") से इसकी अन्तर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई। सी.ओ.डी. और हवाईअड्डा प्रचालक के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक मानने का प्रस्ताव करता है, जिसमें 17 अगस्त, 2026 को 2019 और 2021 के बाद के संशोधनों के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के अनुसार सी.ओ.डी. माना जाएगा।

इस संदर्भ में, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 28 जुलाई 2026 की अधिसूचना एस.ओ. 4173(ई) के माध्यम से कहा कि भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा 17 अगस्त, 2026 की मध्यरात्रि से चालू होने के परिणामस्वरूप, विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव में निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन 30 वर्ष की अवधि के लिए बंद रहेंगे।

इस परामर्श पत्र के लिए, प्राधिकरण ने जीवीआईएएल द्वारा 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित आंकड़ों को माना है।

प्राधिकरण ने अपने स्वतंत्र परामर्शदाता के माध्यम से, वर्तमान में उपलब्ध सभी सूचनाओं, विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण और हवाईअड्डा प्रचालक के विचारों को ध्यान में रखने के बाद, सभी विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन किए हैं। परंतु, हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इन समायोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्राधिकरण ने भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में जीवीआईएल द्वारा प्रस्तुत बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में निर्धारित विभिन्न अनुमानों को ध्यान में रखकर यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार, इस परामर्श पत्र में टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। प्राधिकरण इसमें निहित प्रस्तावों पर हितधारकों से प्राप्त लिखित, साक्ष्य-आधारित टिप्पणियों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं पर विधिवत विचार करेगा और हितधारकों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम टैरिफ आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर ज़ोर देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा निश्चित है। इसलिए हितधारकों से अनुरोध है कि वे अनिवार्यत: इस परामर्श -पत्र में निहित समय-सीमा के भीतर ही अपनी टिप्पणियां और इन-पुट दें। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 के **परामर्श पत्र संख्या 06/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ईमेल:director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि: secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक (प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन):	**16.10.2026**
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**31.10.2026**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**10.11.2026**

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण की वेबसाइट **www.aera.gov.in** पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

12. प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय 3 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

3.3.1 तालिका 11 के अनुसार बीआईए के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।

3.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को ट्रूअप करना।

अध्याय 4: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (केपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

4.7.1 तालिका 36 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

4.7.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय, वैमानिक पूंजीगत व्यय को वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर ट्रू-अप करना।

4.7.3 तालिका 41 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.7.4 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

4.7.5 तालिका 44 के अनुसार बीआईए के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के औसत आरएबी को मानना।

4.7.6 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

4.7.7 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम करना (समायोजित करना) जैसा कि पैरा 4.3.216 में उल्लेख किया गया है। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय इसकी जांच की जाएगी।

4.7.8 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय आवश्यक समायोजन करना (जैसा कि पैरा 4.3.211 में ब्यौरा दिया गया है)।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

5.3.1 तालिका 49 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, काल्पनिक ऋण-इक्विटी अनुपात और एफआरओआर को मानना।

5.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय, वास्तविक आकड़ों (या) एसबीआई के औसत एक (1) वर्ष के एमसीएलआर प्लस स्प्रेड के 150 बीपीएस, जो भी कम हो, के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को ट्रू-अप करना।

5.3.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय, वास्तविक क्रेडिट रेटिंग या 150 बीपीएस, जो भी कम हो, के आधार पर क्रेडिट स्प्रेड को ट्रू-अप करना।

अध्याय 6: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति

6.3.1 तालिका 51 के अनुसार भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति को मानना।

अध्याय 7: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन और रखरखाव खर्च

7.3.1 तालिका 128 के अनुसार बीआईए के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के ओ एंड एम खर्च को मानना।

7.3.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बीआईए द्वारा वहन किए गए प्रचालन और रखरखाव खर्च को अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर ट्रू-अप करना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व (एनएआर)

8.3.1 तालिका 149 के अनुसार भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

8.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय, तालिका 149 के अनुसार न्यूनतम सीमा तक वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए एनएआर को ट्रू-अप करना।

8.3.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय, जीवीआईएएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक ब्याज आय को मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

9.3.1 भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 151 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान को मानना।

9.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय, सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वैमानिक कर राशि को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

10.3.1 जीवीआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रियायत करार में निर्धारित कार्य निष्पादन मानकों का पालन किया जाता है और पैरा 10.2.4 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी अनुपालन किया जाएगा, जो प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू कर दिए गए हैं।

अध्याय 11: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

11.3.1 भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तालिका 154 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि की कुल राजस्व अपेक्षा और वाईपीपी को मानना।

11.3.2 जीवीआईएएल को निदेश देना कि वे इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करें, जिसे हितधारकों के साथ परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

13 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

13.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 12 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

13.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

13.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 31 अक्टूबर, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003
टेलीफोन: **011-24695044;** फैक्स: **011-24695048**

(अध्यक्ष)